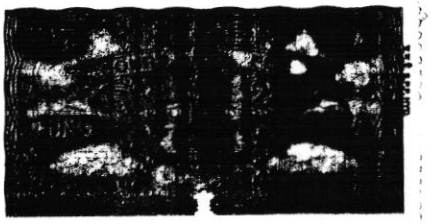

समक्षः माननीय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक निग 848 I-17

श्रीमती तरूणा धर्मपत्नि पवन कुमार **पांडे** उम्र लगभग 50 वर्ष, धंधा— गृहस्थी का काम, निवासी— सिंघई कालोनी बल्लभ भाई पटेल वार्ड कटनी तहसील एवं जिला कटनी म0प्र0

श्री .... द्वारा आज दि 9.3.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

............आवेदिका

बनाम

श्रीमती अनीता धर्मपत्नि अतुल पांडे **उम्र लगभग** 51 वर्ष, धंधा— गृहणी, वर्तमान निवासी— **आनन्दनगर** बस स्टाप हनुमान मंदिर के पास आधारताल जब**लपुर म**0प्र0
पुराना पता— आदर्श कालोनी अजय **मिश्रा के** मकान में कटनी, तहसील एवं जिला कटनी म0प्र0

.................अनावेदिका

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म0प्र0भू—राजस्व **संहिता** 1959 के अंतर्गत के अंतर्गत

आवेदिका दिनांक 09.09.2016 को निगरानी पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 1024 / दो / 2011 पक्षकार अनीता पांडे बनाम तरूणा **पांडे** में माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश निर्णय से **व्यथित** होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन माननीय महोदय के ही समक्ष **निम्नांकित** तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करती है।

प्रकरण के तथ्य

ग्राम झिंझरी प.ह.नं.— 29 तहसील जिला **कटनी** की वादग्रस्त खसरा नम्बर 422 रकवा 0.30 हे. आवेदिका तरूणा एवं अनावेदिका

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-848-एक/17 **जिला** - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/10/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन राजस्व मण्डल के तत्कालीन सदस्य द्वारा निगरानी प्रकरण् क्रमांक 1024-दो/2011 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह आधार दिया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संशोधन पंजी क्र. 107 में दिनांक 04.04.94 को आदेश पारित करना बताया है। जबकि उक्त दिनांक को विवादित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार या नायब तहसीलदार तथा गैर विवादित मामलों का नामांतरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को संहिता की धारा 24 के तहत प्रदाय किया गया था। यह भी आधार लिया गया है कि यदि संशोधन पंजी क्र. 107 को 04.04.94 की माना जाए तो उसकी कूट रचना इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि पंजी क्र. 106 दिनांक 06.09.94 के बाद दिनांक 04.04.94 की तिथि कैसे दर्ज हो जावेगी। इस तथ्य को इस न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान तहसील न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था। तथा पंजी की जो प्रतिलिपि अभिलेख में संलग्न है, उसको देखने से उक्त स्थिति स्पष्ट है। बिना मूल अभिलेख देखे आदेश पारित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा रिव्यु स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है। 3/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा फर्जी तरीके से उनकी भूमि को विक्रय किया गया, जिसके विरुद्ध प्रथके से फौजदारी प्रकरण लंबित है। यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा जो प्रकरण पारित किया गया है वह उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। 4/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन किया। इस प्रकरण में अभिलेख को देखने से आवेदक के इस तर्क की पुष्टि होती है कि आदेश पारित करते समय तहसील न्यायालय का मूल अभिलेख नहीं था तथा मूल निगरानी प्रकरण में तथाकथित पंजी की फोटोप्रति के आधार पर आदेश पारित किया गया है। पंजी की उक्त फोटो प्रति में दिनांकों में कांट-छांट होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09.09.2016 निरस्त करते हुए मूल प्रकरण निगरानी-1024-दो/11 पुन: सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	